



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 26.04.2021

## पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) पर निर्धारण हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका के साथ पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के संप्रेशित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- तदनुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :-
  - वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहीकरण (truing up)।
  - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के सहीकरण (truing up) हेतु रू0 11.08 करोड़ की धनराशि का अन्तर (Gap) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल रू0 41.63 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:-

**तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (रू0 करोड़)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	324.32	378.46	323.11
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-88.58	16.26	-49.46
कुल	235.77	394.72	273.65
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	67.44%	16.08%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त रू0 189.08 करोड़ एवं रू0 357.36 करोड़ की धनराशि क्रमशः प्रारम्भिक इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तराखण्ड शासन को पॉवर डेवलपमेन्ट फण्ड अंशदान के रूप में इक्विटी के तौर पर मांग की गयी थी। आयोग द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गयी।

\*\*\*\*